



**कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची**

वन मवन, डोरण्डा, राँची

e-mail :- apccf-development@gov.in, Phone No. 0651-2481813



पत्रांक : 01 / योबजट-25 / 2018-19 दिनांक : 31/10/18

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्यप्राणी प्रमण्डल, हजारीबाग /  
वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्यप्राणी प्रमण्डल, राँची /  
उप वन संरक्षक, गज परियोजना जमशेदपुर /  
उप निदेशक, पलामू व्याघ परियोजना, उत्तरी प्रमण्डल, मेदिनीनगर /  
उप निदेशक, पलामू व्याघ परियोजना, दक्षिणी प्रमण्डल, मेदिनीनगर

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली "वन्यप्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत विभिन्न आश्रयणियों में किए जाने वाले कार्यों के लिए कुल रु0 1034.994 लाख (दस करोड़ चौंतीस लाख निनान्वे हजार चार सौ रुपये) मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4 / योबो-39 / 2018-31 / स्वी0 व0प0 दिनांक 23.10.2018 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04 / योबजट- 39 / 2018-83 / आ0 व0प0 दिनांक 29.10.2018।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष-101 वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष-61 वन्यप्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में से कुल रु0 1034.994 लाख (दस करोड़ चौंतीस लाख निनान्वे हजार चार सौ रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601101610103	682.297
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601101610323	352.697
कुल :-		1034.994

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-1 पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी / उप वन संरक्षक / उप निदेशक होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं इस कार्यालय को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-2 पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या—19S240601101610103 तथा 19S240601101610323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. कार्य योजना में अंकित Public Procurement के सारे कार्य मुख्य सचिव, झारखण्ड के पत्रांक 2218 दिनांक 01.09.2017 में निहित प्रावधान के अनुरूप किया जायेगा।

5. कार्य योजना में अंकित अवयवों का दर राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित अनुसूचित दर तक सीमित रखा जायेगा।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

7. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 4000 दिनांक 31.10.2011 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना संख्या 4000 दिनांक 31.10.2011 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, कि दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जायेगी।

10. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

11. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

12. किसी भी तरह का भुगतान सिफ बैंक खाता में ट्रान्सफर के माध्यम से ही किया जायेगा। नगद रूप से राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।

**13.** निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान केवल आधार लिंक बैंक खाता में ट्रान्सफर अथवा A/c payee चेक के माध्यम से किया जायेगा।

**14.** सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम सं0 174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय—समय पर निर्गत सुसंगत दिशा—निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा। योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय—समय पर निर्गत दिशा—निर्देशों एवं वित्तीय नियमों के अनुसार की जायेगी।

**15.** निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा एवं निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों का विचलन न हो। अगर वित्तीय लक्ष्य से ज्यादा देनदारियाँ सृजित की जाती हैं, तो उन दावों के सृजन के लिए विभाग जिम्मेवार नहीं होगा।

**16.** निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोकर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

**17.** स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय—समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा। राशि का स्वीकृत योजना तक सीमित रखा जायेगा।

**18.** इस योजना के अंतर्गत वन्यप्राणी प्रबंधन एवं संवर्द्धन के कार्यों का सम्पादन इको डेवलपमेंट समितियों के सहयोग से किया जायेगा।

**19.** इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची होंगे, जिनके द्वारा योजनान्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह के 10वीं तारीख से पूर्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची के माध्यम से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक/ क्षेत्र निदेशक, व्याघ परियोजना, पलामू/ मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा तथा सुनिश्चित किया जाए कि योजनाओं के क्रियान्वयन में राज्य सरकार के नियमों का सतत पालन किया जा रहा है।

**20.** निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

**21.** स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

**अनुलग्नक :— यथोक्त ।**

विश्वासभाजन,  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01 / योबजट-25/2018-133

दिनांक- 31.10.2018

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची / मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, डालटेनगंज / मुख्य वन संरक्षक, बन्यप्राणी, झारखण्ड, राँची / इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्ति ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01 / योबजट-25/2018- 133

दिनांक- 31.10.2018

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, हजारीबाग / डोरण्डा, राँची / जमशेदपुर / मेदिनीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्ति ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2018–19 में कार्यान्वित की जाने वाली “वन्यप्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण योजना” (अन्य व्यय) के अंतर्गत विभिन्न आश्रितों में किये जाने वाले कार्यों से संबंधित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (तकनीकी स्थीरता नहीं)

(मजदूरी दर : ₹0 237.38 प्रति दिन)

निकाटी एवं व्यपन पदाधिकारी का नाम	आश्रयणी का नाम	कार्य विवरण			वित्तीय लक्ष्य (₹0 लाख में)		
		3	4	5	6	7	
वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्यप्राणी प्रमण्डल, हजारीबाग	हजारीबाग वन्यप्राणी आश्रयणी	पर्यावास सुधार Habitat Improvement (Enrichment of Food, Water & Shelter)					
		वनों में पर्यावास सुधार हेतु जीहु एवं सकरजा सुरक्षित वन में सिलिकल्टर औपरेशन योजना (प्रियरी-100 हेतु हेतु गोसी-50 हेतु) आर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास झारखण्ड, रेंची के कार्यालय आदेश संख्या 05 दिनांक 20.01.2018 के आलोक में हजारीबाग वन्यप्राणी आश्रयणी में Lantana Weeds Removal (50 Ha) में – 30 मानव दिवस प्रति हेतु	35.607	20.511	56.118	आश्रयणी क्षेत्र	
		पर्यावास सुधार Habitat Improvement (Enrichment of Food, Water & Shelter)					
		एजडेरवा नाला में 5 पक्का चेक डेम (Size 20'x 8' ( 1 No.), 30'x 8' ( 2 No), 25'x 8' ( 2 No)) का निर्माण	12.600	15.400	28.000	आश्रयणी क्षेत्र	
		एजडेरवा नाला में 35 स्थानों पर लूज बोल्डर चेक डेम का निर्माण	1.750	1.750	3.500	आश्रयणी क्षेत्र	
		(1) काङड़कुदर नाला, नावाडीह (पुणीबाघ) में 30'x 8' , (2) जमनी नाला, नावाडीह (पुणीबाघ) में 30'x 8' , (3) चौदा नाला, डुमरी में 30'x 8' , (4) धोबिया बाघ नाला, डुमरी में 50'x 8' , (1), (5) धोबियाबाघ नाला / सियारी नाला, डुमरी में 45'x 8' (1), (6) जंवारीगढ़ा नाला, गुरुडीह में 30'x 8' (1), (7) बांसादह नाला, गुरुडीह में 50'x 8' (1), (8) फोड़वाडा बासा नाला, गुरुडीह में 45'x 8' (1) सभी पक्का चेक डेम	25.000	29.000	54.000	आश्रयणी क्षेत्र	
		जंगली जानवरों को जल उपलब्ध कराने हेतु निर्मित जल संचयन संरचना रजडेरवा झील का जीणोद्धार	4.500	0.500	5.000	आश्रयणी क्षेत्र	
		जंगली जानवरों को जल उपलब्ध कराने हेतु निर्मित जल संचयन संरचना बाघमारा चेकडैम का जीणोद्धार	2.000	0.000	2.000	आश्रयणी क्षेत्र	
		जंगली जानवरों को जल उपलब्ध कराने हेतु निर्मित जल संचयन संरचना रजडेरवा इंक्लोजर के चेकडैम का जीणोद्धार	0.320	0.480	0.800	आश्रयणी क्षेत्र	
		रजडेरवा इंक्लोजर के सभी प तालाब का गहरीकरण	0.400	0.600	1.000		
		बहिर वन परिसर में पेय जल सुविधा हेतु डीप बोरिंग एवं पाइप लाईन टंकी इत्यादि।	1.950	3.050	5.000		
		हजारीबाग वन्यप्राणी आश्रयणी का योग	87.688	71.291	158.979		

नि. सी एवं वर्यन पदाधिकारी का नाम	आश्रयणी का नाम	कार्य विवरण		वित्तीय लक्ष्य (लूप लाख मे)		स्थल विवरण
		माजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल		
वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्यप्राणी प्रमण्डल, हजारीबाग	कोडरमा वन्यप्राणी आश्रयणी	<b>पर्यावास सुधार Habitat Improvement (Enrichment of Food, Water &amp; Shelter)</b>				
		कोडरमा वन्यप्राणी आश्रयणी में Lantana Weeds Removal (50 Ha ) में – 30 मानव दिवस प्रति हेतु	3.561	0.000	3.561	
		फायर ब्लॉअर की सचालन एवं भरमति पर व्यय	0.000	0.200	0.200	
		<b>पर्यावास सुधार Habitat Improvement (Enrichment of Food, Water &amp; Shelter)</b>				
वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्यप्राणी प्रमण्डल, हजारीबाग	गौतम बुद्धा वन्यप्राणी आश्रयणी	वन्यप्राणी पर्यावास केन्द्र कोडरमा के चारों तरफ (63) स्थान पर पुलिया निर्माण ( $6\times 4' = 2$ No and $4'\times 3= 1$ No.) कोडरमा इन्जेनियर में पक्का चोक डेम का निर्माण ( $74'\times 6'$ ) कोडरमा वन्यप्राणी आश्रयणी क्षेत्र में जंगली जानवरों को पानी की सुवधा उपलब्ध कराने हेतु 11 पक्का जल संचयन (Water Holes) का निर्माण	8.100	9.900	18.000	आश्रयणी क्षेत्र
		कोडरमा वन्यप्राणी आश्रयणी क्षेत्र में जंगली जानवरों को पानी की सुवधा उपलब्ध कराने हेतु 11 पक्का जल संचयन (Water Holes) का निर्माण	7.425	9.075	16.500	
		कोडरमा वन्यप्राणी आश्रयणी का योग	<b>24.036</b>	<b>25.225</b>	<b>49.261</b>	
		<b>पर्यावास सुधार Habitat Improvement (Enrichment of Food, Water &amp; Shelter)</b>				
वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्यप्राणी प्रमण्डल, हजारीबाग	गौतम बुद्धा वन्यप्राणी आश्रयणी	वनों में पर्यावास सुधार हेतु तुलबुल वन में सिल्विकल्चर ऑपरेशन योजना-75 हेतु अपर प्रधान मुख्य वन सरक्षक, विकास जारखण्ड, रौची के कार्यालय आदेश संख्या 05 दिनांक 20.01.2018 के आलोक में वनों में पर्यावास सुधार हेतु वन में किये गये भू-संरक्षण कार्य के सुरक्षा हेतु (दो प्रहरी के साथ) फायर ब्लॉअर की संचालन एवं भरमति पर व्यय	17.804	10.255	28.059	आश्रयणी क्षेत्र
		पर्यावास सुधार Habitat Improvement (Enrichment of Food, Water & Shelter)	1.733	0.000	1.733	
		गौतम बुद्धा वन्यप्राणी आश्रयणी क्षेत्र में 04 चेकडैम क्रमसः (1) कोडा खोट नाला, अहरी ( $50'\times 6'$ ) (2) घरेनिया नाला, मुत्तैयाकला ( $50'\times 6'$ ) (3) गठही नाला, महाने टांड ( $50'\times 6'$ ) एवं हरीन कुदवा, आसननद्यां ( $50'\times 6'$ ) का निर्माण	13.500	16.500	30.000	
		गौतम बुद्धा वन्यप्राणी आश्रयणी	<b>33.037</b>	<b>26.905</b>	<b>59.942</b>	
		<b>पर्यावास सुधार Habitat Improvement (Enrichment of Food, Water &amp; Shelter)</b>				
वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्यप्राणी प्रमण्डल, हजारीबाग	लावालौंग वन्यप्राणी आश्रयणी	वनों में पर्यावास सुधार हेतु सिकनी वन में सिल्विकल्चर ऑपरेशन योजना-75 हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास जारखण्ड, रौची के कार्यालय आदेश संख्या 05 दिनांक 20.01.2018 के आलोक में वनों में पर्यावास सुधार हेतु वरहेद वन में सिल्विकल्चर ऑपरेशन योजना-75 हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास जारखण्ड, रौची के कार्यालय आदेश संख्या 05 दिनांक 20.01.2018 के आलोक में	17.804	10.255	28.059	आश्रयणी क्षेत्र

नि० मी पंच व्यवन पदाधिकारी का नाम	आश्रयणी का नाम	कार्य विवरण			वित्तीय लक्ष्य (₹० लाख में)
		मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल	
वन प्रमण्डल, वन्यप्राणी पदाधिकारी, रॅची	वन संरक्षक, विकास झारखण्ड, रॅची के कार्यालय आदेश संभ्या 05 दिनांक 20.01.2018 के आलोक में वनों में पर्यावास सुधार हेतु वर्ष 2017-18 में 62.5 हेठा आरहातु वन में किये गये भू-संरक्षण कार्य के सुरक्षा हेतु दृतीय वर्ष (दो प्रहरी के साथ) वनों में पर्यावास सुधार हेतु वर्ष 2017-18 में 62.5 हेठा साहबन वन में किये गये भू-संरक्षण कार्य के सुरक्षा हेतु दृतीय वर्ष (दो प्रहरी के साथ)	11.869	6.837	18.706	आश्रयणी भेज
वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्यप्राणी प्रमण्डल, हजारीबाग	फग्यर ब्लॉअर की संचालन एवं भरमति पर व्यय पारसनाथ वन्यप्राणी आश्रयणी	1.733	0.000	1.733	
वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्यप्राणी प्रमण्डल, हजारीबाग	लाचालींग वन्यप्राणी आश्रयणी का योग उधवा झील पक्षी आश्रयणी जल कुम्ही की सफाई (एतोरा एवं बरहेल झील) मोटर बोट के परिचालन हेतु मजदूरी (छः माह के लिए)	50.943	27.497	78.440	
वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्यप्राणी प्रमण्डल, हजारीबाग	उधवा झील पक्षी आश्रयणी का योग वन्यप्राणी प्रणी प्रमण्डल हजारीबाग का कुल योग	2.550	0.100	2.650	
वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्यप्राणी प्रमण्डल, रॅची	केन्द्रीय प्रकोष्ठ का गठन (मुख्यालय स्तर पर) (Constitution of Central Cell) केन्द्रीय प्रकोष्ठ हेतु वन्यप्राणी विशेषज्ञ का मानदेय का भुगतान 6 माह के लिए 50000/- प्रति माह	3.000	0.000	3.000	
वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्यप्राणी प्रमण्डल, रॅची	मवन निर्माण प्रक्रेत्र का योग विरसा मृग विहार कालमाटी	3.000	0.000	3.000	
वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्यप्राणी प्रमण्डल, रॅची	पार्क में हिरण इन्टलोजर, चिल्ड्रेन पार्क का रख रखाव एवं हिरणों की सुरक्षा संबंधी कार्य सफारी पथ का सौंदर्यीकरण CZA के निर्देशानुसार रॅची विश्वविद्यालय के जीव विज्ञान के पीजी छात्रों के द्वारा वन्यजीव के वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु Honorarium की राशि CZA के निर्देशानुसार रॅची के बेटनरी कॉलेज के बेटनरी मेडिसीन डॉक्टर द्वारा जूँ के वन्यप्राणियों के गंभीर विमारियों का वैज्ञानिक diagnosis हेतु TA/DA honorarium की राशि पार्क में प्रवेश हेतु टिक्ट छापाई इत्यादि	0.200	0.000	0.200	
		0.500	0.000	0.500	
		0.000	0.500	0.500	



क्रि पदाधिकारी का नाम	आश्रयणी का नाम	कार्य विवरण			वित्तीय लक्ष्य (₹० लाख में)	स्थल विवरणी
		मजदूरी	आपूर्ति एवं सामाजी	कुल		
उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, पाज परियोजना जमशेदपुर	दलमा चन्य प्राणी आश्रयणी,	वन्यजीव संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण वनों में पश्चास सुधार हेतु खोखो सुरक्षित वन में सिल्विकल्चर औपरेशन योजना-50 हो । अप्र प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास झारखण्ड, रौची के कार्यालय आदेश संख्या 05 दिनांक 20.01. 2018 के आलोक में	11.869	6.837	18.706	
उप अधिकारी को बुझाने के क्रम में कर्मचारियों एवं स्थानीय व्यक्तियों को गुड, सूत् एवं चूड़ा पर होने वाला व्यय	वन अभियानी आश्रयणी का प्रबन्धन योजना का निर्माण	0.000	0.300	0.300	0.000	
जीर्णपीटएस० सेट का क्रय आदि	दलमा वन्यग्राणी आश्रयणी का प्रबन्धन योजना का निर्माण	0.000	3.000	3.000	0.000	
वन अभियानी आश्रयणी का प्रबन्धन योजना का निर्माण	वन्यजीव संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण जल संरक्षण संरचना का निर्माण –2 अदर	11.790	0.000	11.790	11.790	
उप निदेशक, पलामू व्याघ परियोजना, उत्तरी वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर	गज परियोजना जमशेदपुर का युत्तर योग वन अभियान को बुझाने के क्रम में कर्मचारियों एवं स्थानीय व्यक्तियों को गुड, सूत् वूड़ा एवं दवा पर होने वाला व्यय। स्थानीय व्यक्तियों को विभिन्न प्रक्षेत्रों में अवस्थित चेकनाका, वन विश्वामार, दूरिस्ट परिसर आदि में प्रतिनियोजित करने पर व्यय (45 व्यक्ति छ. माह के लिए एवं 30 व्यक्ति छ. माह के लिए)। मेटनरी कोयर युनिट का सुइदीकरण एवं परियालन पर व्यय। वन्यप्राणियों के लिए समुचित चारा उपलब्ध कराने हेतु धास मैदान का निर्माण (प्रथम वर्ष) 100 हो। सिल्वीकर्जन ऑपरेशन योजना का 250 हो ग्रैस ऐरिया में कार्यालय। बोतला में उपलब्ध कुल 5 हाथियों के रख-रखाव पर व्यय (दवा एवं भोजन सामग्री आदि)। उप निदेशक, पलामू व्याघ परियोजना, उत्तरी वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर का कुल योग	33.526	19.250	52.776	12.121	2.500
उप निदेशक, पलामू व्याघ परियोजना, दक्षिणी वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर	वन अभियान को बुझाने के क्रम में कर्मचारियों एवं स्थानीय व्यक्तियों को गुड, सूत् वूड़ा एवं दवा पर होने वाला व्यय। स्थानीय व्यक्तियों को विभिन्न प्रक्षेत्रों में अवस्थित चेकनाका, वन विश्वामार, दूरिस्ट परिसर आदि में प्रतिनियोजित करने पर व्यय (55 व्यक्ति छ. माह के लिए एवं 40 व्यक्ति छ. माह के लिए)। वनों की अभियान से सुरक्षा हेतु 411 किमी वन पथ के दोनों ओर 15-15 फीट तक फायर ट्रिंग का कार्य वन्यजीवों के लिए समुचित चारा उपलब्ध कराने हेतु धास मैदान का निर्माण (प्रथम वर्ष) 100 हो। सिल्वीफल्कर्जन अपरेशन योजना का 180 हो ग्रैस ऐरिया में कार्यालय। वन्य जीवों के लिए धास मैदान का विकास एवं रख-रखाव (500 हेक्टेएर) एक कच्चा चोक डैम का सुइदीकरण तथा दो कच्चा डैम का निर्माण	29.127	0.000	29.127	35.180	0.000
	उप निदेशक, पलामू व्याघ परियोजना, दक्षिणी वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर का कुल योग	201.775	19.763	221.538		

निर्दिशी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	आप्रयणी का नाम	कार्य विवरण			वित्तीय लक्ष्य (₹० लाख में)	स्थल विवरण
		माजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल		
वन्यप्राणी प्राणी प्रमण्डल हजारीबाग का कुल योग	205.904	160.518	366.422			
वन्यप्राणी प्राणी प्रमण्डल रौची का कुल योग	130.948	114.558	245.506			
गज परियोजना जमशेदपुर का कुल योग	33.526	19.250	52.776			
उप निदेशक, पलामू व्याघ परियोजना, उत्तरी वन प्रमण्डल, नेदीनगर का योग	110.144	38.608	148.752			
उप निदेशक, पलामू व्याघ परियोजना, दक्षिणी वन प्रमण्डल, नेदीनगर का योग	201.775	19.763	221.538			
सकल योग	682.297	352.697	1034.994			

प्रधान मुख्य अधिकारी संरक्षक, विवरण  
ज़ारूरतपूर्ण, रौची



## आवंटन आदेश

### झारखण्ड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु निम्नान्कित दराएं गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-25/2018/1333

दिनांक -

31-Oct-2

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं.	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601101610103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - बन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी <b>State Scheme</b>  State Scheme : WILD LIFE CONSERVATION(0341) Central Scheme : NA	67406	HZBFWL016 DILEEP KUMAR YADAV D.F.O.WILD LIFE HZB	20,590,400.00 रुपये दो करोड़ पॉच लाख नब्बे हजार चार सौ
2	S 19 240601101610103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - बन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी <b>State Scheme</b>  State Scheme : WILD LIFE CONSERVATION(0341) Central Scheme : NA	67407	DRNFWL049 KAMLESH PANDEY, IFS DFO WILD LIFE DIVISION RANCHI	13,094,800.00 रुपये एक करोड़ तीस लाख छौराहनवे हजार आठ सौ
3	S 19 240601101610103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - बन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी <b>State Scheme</b>  State Scheme : WILD LIFE CONSERVATION(0341) Central Scheme : NA	67408	JSRFOR002 CHANDRA MAULI PRASAD SINHA DY.C.F.& F.D.PROJ.ELEPHANT JSR	3,352,600.00 रुपये तैतीस लाख बावन हजार छः सौ

37,037,800.00

योगः

क्रमिक योगः

रुपये तीन करोड़ सत्तर लाख सैतीस हजार आठ सौ


PCCF, DEO(DAHAMMAN) RANCHI

(SHRI SATNAM SINGH)

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्यवन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601101610103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - बन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - बन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी <b>State Scheme</b>  State Scheme : WILD LIFE CONSERVATION(0341) Central Scheme : NA	67409	PLMFOR069 ANIL KUMAR MISHRA DY.DIR.TIGER.PRO.N ORTH.DIV.MED	रुपये एक करोड दस लाख चौदह हजार चार सौ
5	S 19 240601101610103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - बन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - बन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी <b>State Scheme</b>  State Scheme : WILD LIFE CONSERVATION(0341) Central Scheme : NA	67410	PLMFOR068 MAHALING DY.DIR.TIGER.PRO.S UTH.DIV.MED	रुपये दो करोड एक लाख सित्योत्तर हजार चौंच सौ
6	S 19 240601101610323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - बन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - बन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 03 - प्रशासनिक व्यव 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>  State Scheme : WILD LIFE CONSERVATION(0341) Central Scheme : NA	67412	HZBFWL016 DILEEP KUMAR YADAV D.F.O.WILD LIFE HZB	रुपये एक करोड साहठ लाख इकावन हजार आठ सौ
<hr/>				
योग:				47,243,700.00
क्रमिक योग:	रुपये आठ करोड बयालीस लाख इक्कासी हजार चौंच सौ			84,281,500.00
<hr/>				
 (SHRI SATNAM SINGH) PCCF(DIBADHARHANS)RANCHI				

क्रमांक	विपरी कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601101610323 2406 - बानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - बानिकी 101 - बन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - बन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>  State Scheme : WILD LIFE CONSERVATION(0341) Central Scheme : NA	67414	DRNFWL049  KAMLESH PANDEY, IFS DFO WILD LIFE DIVISION RANCHI	11,455,800.00  रुपये एक करोड़ चौदह लाख पचपन हजार आठ सौ
8	S 19 240601101610323 2406 - बानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - बानिकी 101 - बन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - बन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>  State Scheme : WILD LIFE CONSERVATION(0341) Central Scheme : NA	67415	JSRFOR002  CHANDRA MAULI PRASAD SINHA DY.C.F.& F-D PROJ.ELEPHANT JSR	1,925,000.00  रुपये उन्नीस लाख पच्चीस हजार आठ सौ
9	S 19 240601101610323 2406 - बानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - बानिकी 101 - बन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - बन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>  State Scheme : WILD LIFE CONSERVATION(0341) Central Scheme : NA	67416	PLMFOR069  ANIL KUMAR MISHRA DY.DIR.TIGER.PRO.N ORTH.DIV.MED	3,860,800.00  रुपये अड़तीस लाख साढ़े हजार आठ सौ
योग:				17,241,600.00
क्रमिक योग:				101,523,100.00
 PCCF, D(BADARKHANS) RANCHI				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 240601101610323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - बन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>  State Scheme : WILD LIFE CONSERVATION(0341) Central Scheme : NA	67418	PLMFOR068 MAHALING DY.DIR.TIGER.PRO.S UTH.DIV.MED	1,976,300.00 रुपये उन्नीस लाख छहत्तर हजार तीन सौ



योग:

1,976,300.00

क्रमिक योग:

रुपये दस करोड चौतीस लाख निनानवे हजार चार सौ

103,499,400.00

(SHRI SATNAM SINGH)

POCF DILAWAR KHANS RANCHI